

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ़ेशर/2023/दिनांक फरवरी, 2024

प्राचार्य,  
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:— ऑनलाईन/ऑफलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत संशोधन

संदर्भ:— विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यू.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक

02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन/ऑफलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है—

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	मिथलेश सोलंकी	इतिहास	राज.कला कन्या महा.,कोटा	रिफ़ेशर	07.02.2024 से 21.02.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
2	बिन् कुमावत	राज.विज्ञान	राज.कला कन्या महा.,कोटा	रिफ़ेशर	07.02.2024 से 21.02.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
3	श्रीकृष्ण मीना	अंग्रेजी	राज.महा., विराटनगर	रिफ़ेशर	07.02.2024 से 21.02.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
4	अवधेश गोयल	संस्कृत	राज महा., बस्सी जयपुर	रिफ़ेशर	07.02.2024 से 21.02.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
5	जगदीश मीना	रसायन शास्त्र	राज.महा.करौली	रिफ़ेशर	07.02.2024 से 21.02.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
6	रामेश्वर लाल	व्या.प्रशासन	राज. महा. मेड़ता सिटी	रिफ़ेशर	02.02.2024 से 15.02.2024 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालन सुनिश्चित करें :—

- प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
- संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि:—

- बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।  
(प्रो. अमित शर्मा)

कार्यवाहक संयुक्त निदेशक(अवकाशिक)

RajKaj Ref  
5535220



Signature valid

Digitally signed by Amit Sharma  
Designation: Professor  
Date: 2024.02.06 17:02:39 IST  
Reason: Approved